

तारीख
हुक्म

५/११/१९

पत्रावली आज पेश हुई।
भैरवसिंह अधिकारी चुनाव कार्य में
रूस्त होने से पत्रावली आयन्दा
क्रमांक...१११२/१९.....को पेश हो।

११/१२/१९

पत्रावली आज पेश हुई।
प्रार्थी व अप्रार्थीगण गैर लाजिए।
प्रार्थी व अधिवक्ता प्रार्थी के अकालत द्वारा
आवाज लगाने के उपरान्त लाजिए नहीं हुए।
प्रकरण के प्रार्थी के परामर्श अवलम्बित
जाने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण
के नोटिस पेश नहीं किये हैं। प्रार्थी आज
भी गैर लाजिए हैं। प्रार्थी द्वारा लगभग पूरे
शिलाल के आदेशानुसार तामिल पेश नहीं
किया एवं वाचपूरे दूखना अनुपदिष्ट रहना
यह अपने आप में प्रार्थी के अधिकारों का
के प्रति अरुचि के दशावली है।
इस संबंध में आदेश १९ नियम २५
CPC में स्पष्ट उल्लेख है कि...
लम्बन तामिल के बिना लोखे के पश्चात न
दिएल तब नये लम्बन के लिए अपेक्षित
इन्ते में अलफ्त रस्ता है। चला पर
आ लारीय डिमा जाना इन्ते स्पष्ट है कि
प्रकरण में प्रार्थी को काफी अपस (रहे) के
बाबजूद लम्बन नोटिस पेश नहीं किए हैं।
पश्चात भी प्रार्थी नोटिस पेश करने में
अलमथी रता है। आह द्बंथ प्रार्थी गैर
लाजिए हैं।
अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी डा यलप्रणी
पत्र के आदेश १९ नियम २५ CPC के तहत
लारीय डिमा जाना है। पत्रावली फैलना शुभा
लित (दखिल दफत) है।
निर्णय सरे राजमान आज दि० ११/१२/१९ के
पेश हो।

(सम्पालक प्रिनिगल)
सहायक कलक्टर
(एम.डी.ओ.) जालोर

